संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
छठवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल
दूरभाष – 0755–2550186,0777–2551719 फैक्स–0755–2578844, 2551719

क्रमांक 2507 /4/यूजी/संचिशि/2014 भोपाल,दिनांक 25/09/2014

एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तृतीय चरण की काउसंलिंग के पश्चात् शेष रिक्त रही सीटों को भरने हेतु नये ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 737/2013 एवं 716/2013 में पारित निर्णय दिनांक 19/05/2013 द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार किसी भी कारण से रिक्त रही सीटों पर आवंटन एवं प्रवेश की कार्यवाही तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 390/2011 (सिविल अपील 4060/2009) में दायर अंतरिम याचिका क्रमांक 10/2014 एवं 11/2014 में पारित निर्णय दिनांक 15/09/2014 के अनुसार पीपुल्स कालेज ऑफ मेडिकल सांईस, भोपाल की 87 सीटों पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त सीटों के भरने के लिये यदि कोई निर्देश दिये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

इस आवंटन प्रक्रिया में पूर्व में ऑनलाईन रजिस्टर्ड सभी अभ्यर्थी भाग लेने हेतु पात्र होंगें । इसके अतिरिक्त ए.आई.पी.एम.टी. 2014 की मेरिट के आधार पर चयनित पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व में किसी भी कारण से ऑनलाईन रजिस्ट्रेश्न नहीं कराया है, इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करा सकते है ।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट पर दिनांक 25/09/2014 सायं 5.00 बजे से ऑनलाईन रजिस्ट्रेश्न करवाकर आवंटन प्रक्रिया में भाग ले सकते है । रजिस्ट्रेश्न आवंटन के अंतिम दिवस तक खुला रहेगा परन्तु अभ्यर्थियों को अपनी केटेगरी के अनुसार उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा उसके पूर्व ऑनलाईन रजिस्ट्रेश्न कराना अनिवार्य है ।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

25.9.14

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश